

1.	विभाग	मत्स्य विभाग
2.	योजना का नाम –	नर्सरी निर्माण (राज्य सैक्टर)
3.	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	परियोजना में ग्राम सभा व निजी क्षेत्र के 1.00 हे० तालाब में 10 प्रतिशत जलक्षेत्र अर्थात् 0.10 हे० की नर्सरी निर्माण हेतु इकाई लागत 0.50 लाख होगी, जिसमें परियोजना अंश 50% अनुदान एवं लाभार्थी द्वारा 50% व्यय भार बैंक ऋण अथवा स्वयं के संसाधनों से वहन किया जायेगा।
4.	पात्रता की अर्हता–	मत्स्य पालन का अनुभव हो/ सदचरित्र/शासकीय अथवा विभागीय योजनाओं में डिफाल्टर न हो/न्यूनतम 03 वर्षों का मत्स्य पालन का अनुभव हो, तालाब पर वर्ष पर्यन्त जल की उपलब्धता हो। निजी क्षेत्र के मत्स्य पालकों को वरीयता दी जायेगी। निजी मत्स्य पालकों की अनुपलब्धता की स्थिति में ऐसे पट्टा धारक पात्र होंगे जिसकी पट्टा अवधि न्यूनतम 03 वर्ष अवशेष हो।
5	आवेदन की प्रक्रिया–	योजनाओं हेतु पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह की अवधि में जनपदीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं।
6.	लिंक वेबसाइट	http://fisheries.up.nic.in
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के सहायक निदेशक, मत्स्य अथवा उप निदेशक, मत्स्य, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।